अव्यवस्था | 16 लाख की सालाना आय, फिर भी बदहाल प्राचीन विष्णु वराह मंदिर

# आस्था पर अव्यवस्था का 'ग्रहण'

**नवभारत, मझौली।** मझौली की पहचान और आस्था का केंद्र प्राचीन विष्णु वराह मंदिर आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जिस मंदिर की सालाना आय लगभग 16 लाख रुपए है, वहाँ न तो श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था है और न ही मंदिर के रख-रखाव पर कोई ध्यान दिया जा रहा है।

श्रद्धालुओं का सीधा सवाल है कि यदि मंदिर से साल भर में लाखों रुपए की आय होती है, तो वह राशि कहाँ खर्च की जा रही है? मंदिर परिसर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े करता है।

**इनका कहना है**

'16 लाख रुपए सालाना आय वाला मंदिर अगर प्यासा और बदहाल रहे, तो यह मझौली के गौरव के लिए शर्मनाक है। आखिर इस फंड का ऑडिट कौन कर रहा है?'

**शिवम साहू, स्थानीय श्रद्धालु।**

### 'ये हैं मंदिर की प्रमुख समस्याएं

स्थानीय ग्रामीणों की माने तो मंदिर के गर्भगृह और पूजा व्यवस्था में कोई स्पष्ट नियम या सुविधा नहीं है। दूर-दराज से आने वाले भक्तों के लिए बैठने, छांव और शुद्ध पेयजल का कोई इंतजाम नहीं है। प्राचीन धरोहर होने के बावजूद परिसर की स्वच्छता और सुरक्षा भगवान भरोसे है। स्थानीय नागरिकों और नियमित दर्शनार्थियों का कहना है कि प्रशासन और मंदिर समिति सिर्फ आय पर ध्यान दे रही है, जबकि श्रद्धालुओं की सुविधाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है।

# खबर के बाद हरकत में आया विभाग

तीन महीने से बंद राशन अब मिलना हुआ शुरू

**नवभारत, अभाना/मझौली।** जनपद पंचायत मझौली की ग्राम पंचायत अभाना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लापरवाही ने गरीब परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। ग्रामीणों के अनुसार यहां लगातार तीन महीनों तक राशन वितरण नहीं हुआ, जिससे सैकड़ों परिवारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले लोगों को मजबूरी में बाजार से महंगे दामों पर अनाज खरीदना पड़ रहा था।

ग्रामीणों ने बताया कि राशन वितरण का कार्य कर रहे रत्नेश भट्ट पर गबन का आरोप है जिसके बाद से वह वितरण केंद्र से गायब बताए जा रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि जब विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी थी, तो तीन महीने तक वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? हालांकि मामला सामने आने और खबर के प्रभाव के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग हरकत में आया। कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी निशा सावनेर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया और तत्काल नेकलाल पटेल को नया सेल्समैन नियुक्त किया। इसके बाद अगले ही दिन गांव में राशन वितरण शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों के साथ शिवम पटेल, सुनील रजक और अन्य ने बताया कि अब उन्हें पिछले चार महीनों का राशन एक साथ प्राप्त हो गया है, जिससे अब उन्हें राहत मिली है।

# आरटीआई का मजाक, भोपाल से जबलपुर भेजी गई फाइल

मझौली का आवेदक जानकारी के लिए भटकने को मजबूर

**नवभारत,मझौली।** सूचना का अधिकार कानून, जो जनता को ताकत देने के लिए बनाया गया था, आज सरकारी दफ्तरों की लालफीताशाही और टालमटोल की नीति का शिकार हो गया है। ताजा मामला मझौली का है, जहाँ एक आवेदक को वार्ड नंबर 10 के शिवम साहू द्वारा मांगी गई जानकारी के लिए भोपाल से जबलपुर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

वार्ड नंबर 10, मझौली निवासी शिवम साहू ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मांगी थी। इस संबंध में विभागों के बीच पत्राचार तो हुआ, लेकिन आवेदक को अब तक प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार भोपाल स्थित संचालनालय ने 5 मार्च 2026 को एक पत्र जारी कर आवेदन को पूर्वी क्षेत्र, जबलपुर के उप संचालक कार्यालय को हस्तांतरित कर दिया। पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि मांगी गई जानकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसलिए वही जानकारी उपलब्ध कराए।

### विभाग की जिम्मेदारी या आवेदक की परेशानी?

विचित्र बात यह है कि आवेदक को दिए गए उत्तर में यह भी कहा गया कि आगे की जानकारी के लिए उसे सीधे क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना होगा। इससे यह बड़ा सवाल उठता है कि जब आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन दिया गया है, तो विभाग स्वयं जानकारी उपलब्ध कराने के बजाय आवेदक को दूसरे कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए क्यों मजबूर कर रहा है?

### क्या कहता है आरटीआई कानून?

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अनुसार, यदि मांगी गई जानकारी किसी अन्य कार्यालय से संबंधित हो, तो संबंधित विभाग को आवेदन स्वत: स्थानांतरित कर निर्धारित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध करानी होती है। लेकिन यहाँ केवल पत्राचार कर जिम्मेदारी दूसरे कार्यालय पर डाल दी गई है।

# प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्रामीण विकास योजनाओं की दी जानकारी

ग्राम पंचायत सिमरिया में प्रशिक्षण आयोजित

**नवभारत, मझौली।** विकासखंड मझौली की ग्राम पंचायत सिमरिया में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वावधान में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवांकुर संस्थाओं, प्रस्फुटन समितियों, सखी समूहों और ग्रामीण जनों को शासन की योजनाओं तथा सामाजिक विकास में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, विकासखंड मझौली जिला जबलपुर (योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन) के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला समन्वयक श्री घनश्याम रायपुरिया एवं विकासखंड समन्वयक नूपुर खरे के मार्गदर्शन में किया गया। प्रशिक्षण के दौरान जिला समन्वयक घनश्याम रायपुरिया ने उपस्थित प्रतिभागियों को मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की कार्यप्रणाली, उद्देश्य एवं समाज में किए जा रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। वहीं नवांकुर संस्था महगवां के अध्यक्ष सनिल यादव ने प्रस्फुटन समितियों की अवधारणा एवं उनके गठन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया।

### प्रस्फुटन समितियों की भूमिका पर डाला प्रकाश

नवांकुर संस्था गुरजी के अध्यक्ष अरविंद दुबे ने समाज सेवा और ग्रामीण विकास में प्रस्फुटन समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षक परामर्शदाता मनीष अवस्थी ने संचालन प्रक्रिया और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर परामर्शदाता पूनम चौबे और सतीश पाठक ने युवाओं को नेतृत्व विकास और समाज निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन और दस्तावेजीकरण परामर्शदाता नीरज दुबे द्वारा किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी पांचों परामर्शदाता, विद्यार्थी तथा प्रस्फुटन समिति के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इनमें जोहरी पटेल, मेघा तिवारी, विवेक तिवारी, नंदिनी पटेल, दुर्गा पटेल, गिरजा काछी, प्रमोद पटेल, अभिमन्यु पटेल, प्रियम पटेल, अंजनी पटेल, प्रभा पटेल और कंचन यादव सहित अन्य ग्रामीण जनों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

# 26 की उम्र में 17 अपराध करने वाला बम्बू लोडेड रिवॉल्वर समेत गिरफ्तार

**नवभारत, जबलपुर।** गढ़ा पुलिस ने 26 की उम्र में 17 अपराध करने वाले बदमाश बम्बू को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से एक लोडेड देशी रिवॉल्वर बरामद हुई है। गढ़ा थाना प्रभारी प्रसन्न कुमार शर्मा ने बताया कि मदनमहल पहाड़ी दरगाह के पास बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे शिवा उर्फ बम्बू चौधरी (26) निवासी देवताल रामनगर को घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसकी कमर के पीछे एक देशी रिवॉल्वर फंसी मिली। जाँच करने पर रिवॉल्वर के अंदर एक कारतूस भी लोड पाया गया। पुलिस ने हथियार और कारतूस जब्त कर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपी शिवा चौधरी एक आदतन और बेहद खतरनाक अपराधी है। उसके खिलाफ पहले से ही हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, मारपीट, आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम जैसे कुल 17 गंभीर मामले दर्ज हैं।

### कार की टक्कर से सास-बहू समेत चार घायल

**जबलपुर।** अधारताल थाना अंतर्गत धनी की कुटिया रोड सनी मंदिर के पास सोमवार को कार की टक्कर से जुपिटर सवार सास, बहु समेत दो बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम मोनिका रैकवार 35 वर्ष निवासी रद्दी चौकी गोहलपुर ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह जुपिटर एमपी 20 एसआर 6967 से सास शकुन रैकवार , बेटा व बेटी को बैठाकर अमखेरा जा रही थी। दोपहर 1-30 बजे धनी की कुटिया रोड सनी मंदिर के पास पहुंची तभी कार एमपी 20 सीके 8068 के चालक ने तेजगति लापरवाही पूर्वक चलाते हुये पीछे से उसकी मोटर सायकिल में टक्कर मार दिया जिससे सभी गिर गये ।

# नवरात्रि पर मांस-मछली की बिक्री पर लगे प्रतिबंध

हिन्दू धर्म सेना ने की मांग

**नवभारत,जबलपुर।** हिन्दू धर्म सेना ने नवरात्रि पर्व के दौरान मांस मछली की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने की मांग हिन्दू धर्म सेना के पदाधिकारियों ने की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नीरज राजपूत के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि नवरात्रि पर्व को दृष्टिगत रखते हुए हुए जिले में मांस मछली की बिक्री पर सख्ती से रोक लगायी जाए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष नीरज राजपूत,मुकेश रजक, आकाश मलिक, अविनाश

सुखदान, दिनेश छापेल, मोनू पासी,कार्तिक गुरुंग , रोहित बेन, अभय राजपूत,कबीर पटेल, भारत पासी,शशांक महोबिया , हिमांशु महोबिया, मोहित कश्यप ,हर्षित कोरी, करन गुप्ता, कार्तिक पटेल मौजूद रहे।

### मेडिकल रिपोर्ट के साथ पेश किया जाए उपचाररत वृद्ध को

**जबलपुर।** सम्पति संबंधित विवाद के कारण पिता को पुत्र द्वारा नशा मुक्ति केन्द्र में बंधक बनाकर रखे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए वृद्ध को मेडिकल रिपोर्ट के साथ न्यायालय में पेष करने के आदेश जारी किये है। याचिका पर अगली सुनवाई 25 मार्च को निर्धारित की गयी है।


**कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)**

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियर कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

| देनदारों / सहदेनदारों का नाम | सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण | कुल बकाया....रु. | डिमांड नोटिस तिथि | कब्जा तिथि |
|---|---|---|---|---|
| श्री नाहर सिंह, श्रीमती रामवती (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10564701) | पटवारी हल्का संख्या 5, खसरा संख्या 238, क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट, ग्राम हितोनिया, तहसील शाहपुरा भीतोनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपति का प्रकार- भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, कालीन क्षेत्र संपति क्षेत्र- 900.00, 600.00, 480.00 | रुपये 341829 (रु. तीन लाख इकतालीस हजार आठ सौ उन्तीस मात्र | 24-10-2025 | 12 मार्च 26 |
| श्री देशराज सिंह गौंड श्रीमती सुषमा सिंह (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10326120) | पटवारी हल्का संख्या 04, क्षेत्रफल 170 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 409/2/2/3 में स्थित, बांका, चंदिया, उमरिया, मध्य प्रदेश. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपति का प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल संपति का क्षेत्रफल- 1830.00, 1616.00, 1290.00 | रुपये 454488/- (रु. चार लाख चौवन हजार चार सौ अठासी मात्र) | 16-10-2025 | 12 मार्च 2026 |
| श्री हीरा लाल वैगा, श्री भैया लाल, श्रीमती चैती लाल, श्रीमती केशकली वैगा, ट्रैक्टर मालिक (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10374502) | खसरा संख्या 245/1/2 में स्थित भूमि, ग्राम परासी, मानपुर, उमरिया, मध्य प्रदेश, भारत, 484661 वर्ग फुट क्षेत्रफल- संपति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल संपति क्षेत्रफल- 2152.00, 924.00, 740.00 | रुपये 318313/-(रु. तीन लाख अट्ठारह हजार तीन सौ तेरह मात्र) | 18-07-2025 | 12 मार्च 2026 |
| श्री कचोरी लाल सेन कचोरी श्रीमती ललिता बाई सेन (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10580871) | प्लॉट संख्या 74, खसरा संख्या 483, ग्राम देओरी खुर्द, तहसील रिठी, जिला कटनी, मध्य प्रदेश, 483880 - भारत क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपति का प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल संपति क्षेत्रफल- 641.00, 251.00, 314.00 | रुपये 287436/- (रु. दो सतासी हजार चार सौ छत्तीस मात्र) | 24-10-2025 | 12 मार्च 26 |

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी **ब्रांच आफिस:** 225, नेपियर टाउन, दूसरा माला, अपोजिट चंद्रिका टॉवर्स, शास्त्री ब्रिज रोड, जबलपुर-482001/या **कार्पोरेट ऑफिस**- प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

**स्थान- जबलपुर, दिनांक- 17-3-2026** **प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**


## कार्यालय कलेक्टर जिला सिवनी एवं प्रदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

**क्रमांक/933/भू-अर्जन/2026** **सिवनी, दिनांक: 06/03/2026**

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अत: भूमि, अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :-

**अनुसूची**

1- परियोजना का नाम - शेर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना बांध क्रमांक -4
2- भूमि का विवरण :-
(क) जिला - सिवनी
(ख) तहसील - लखनादौन
(ग) नगर/ग्राम - मचवाड़ा प.ह.नं. -63
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 12.97 हेक्टेयर

| स क्र. | सर्वेक्षण संख्या | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन का अधीन क्षेत्रफल (है.) में | हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता | सीमाएं | | | | वृक्ष | | संरचना | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | उत्तर | दक्षिण | पूर्व | पश्चिम | प्रजाति किस्म | संख्या | प्रकार | लिंग परिधि |
| 1 | 2/1 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.20 | आशाबाई पिता बखतसिंह जाति लोधी पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 1 की भूमि | खसरा 10 की भूमि | खसरा 3 की भूमि | खसरा 1 की भूमि | - | - | - | - |
| 2 | 2/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.22 | बतेशी पिता चोखेलाल जाति गौड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 1 की भूमि | खसरा 10 की भूमि | खसरा 3 की भूमि | खसरा 1 की भूमि | - | - | कुआ मकान 1 | - |
| 3 | 4/1 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.30 | मनोहर पिता डालचंद जाति लमाना पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 1 की भूमि | खसरा 8 की भूमि | खसरा 37 की भूमि | खसरा 3 की भूमि | - | - | - | - |
| 4 | 4/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.35 | दिमाकू पिता डालचंद जाति लमाना पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 1 की भूमि | खसरा 8 की भूमि | खसरा 37 की भूमि | खसरा 3 की भूमि | - | - | - | - |
| 5 | 11/1 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.28 | रमेश पिता अतरलाल जाति अहीर पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 2 की भूमि | खसरा 13 की भूमि | खसरा 10 की भूमि | खसरा 1 की भूमि | - | - | - | - |
| 6 | 36 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.38 | हुमनसिह,खेमसिह पिता डब्बलिया जाति गोड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 40 की भूमि | खसरा 25 की भूमि | खसरा 40 की भूमि | खसरा 39 की भूमि | - | - | - | - |
| 7 | 38/1 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.05 | प्रयागदीन,बृजलाल,प्रेमलाल पुत्र सियाराम जाति गौंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 41 की भूमि | खसरा 25 की भूमि | खसरा 39 की भूमि | खसरा 1 की भूमि | - | - | - | - |
| 8 | 38/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.02 | ब्रजलाल पिता सियाराम जाति गौंड पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 41 की भूमि | खसरा 25 की भूमि | खसरा 39 की भूमि | खसरा 1 की भूमि | - | - | - | - |
| 9 | 65/1/1 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.02 | अनिया बेवा धनाराम जाति गोड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 65/1/2/1 की भूमि | खसरा 62 की भूमि | खसरा 65/2 की भूमि | खसरा 44 की भूमि | - | - | - | - |
| 10 | 65/1/2/1 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.50 | हिम्मा पिता धनाराम जाति गोड पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 65/1/2/2 की भूमि | खसरा 65/1/1 की भूमि | खसरा 65/2 की भूमि | खसरा 70 की भूमि | - | - | - | - |
| 11 | 65/1/2/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.06 | मुखुंदी पिता धनाराम जाति गोड पता लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 65/1/3 की भूमि | खसरा 65/1/2/1 की भूमि | खसरा 65/2 की भूमि | खसरा 70 की भूमि | - | - | - | - |
| 12 | 65/1/3 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.25 | | खसरा 70 की भूमि | खसरा 65/1/2/2 की भूमि | खसरा 65/2 की भूमि | खसरा 70 की भूमि | - | - | - | - |
| 13 | 65/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.65 | सब्बू उइके पिता होरीलाल, बुधिया बाई बेवा होरीलाल, सम्मू लाल उइके पिता होरीलाल, मालती,सामो पुत्री होरीलाल, दीपचंद पिता हजारी, ममता,प्रीती,रवीता पुत्री हजारी जाति गोड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 70 की भूमि | खसरा 62 की भूमि | खसरा 66 की भूमि | खसरा 44 की भूमि | - | - | - | - |
| 14 | 66 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.26 | परमा,देवसिंग,प्रेमवती,ओमवती बंजारा,सुनीता पिता तखतसिंह, कत्तोबाई बेवा तखतसिंह जाति लमाना पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 69 की भूमि | खसरा 64 की भूमि | खसरा 67 की भूमि | खसरा 65 की भूमि | - | - | - | - |
| 15 | 67 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.34 | त्वरित पिता सतीश जाति ब्राहम्ण पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 68 की भूमि | खसरा 64 की भूमि | खसरा 73 की भूमि | खसरा 88 की भूमि | - | - | - | - |
| 16 | 69 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.81 | | खसरा 70 की भूमि | खसरा 68 की भूमि | खसरा 73 की भूमि | खसरा 65 की भूमि | - | - | - | - |
| 17 | 72/1 | भूमिस्वामी | कृषि | 1.55 | अम्मूलाल पिता पुन्नू जाति गोड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 70 की भूमि | खसरा 75 की भूमि | खसरा 76 की भूमि | खसरा 74 की भूमि | - | - | - | - |
| 18 | 72/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.48 | सनवती,सविता,प्रीती,कमलवती पिता खुब्बा जाति गौंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 70 की भूमि | खसरा 75 की भूमि | खसरा 76 की भूमि | खसरा 74 की भूमि | जामुन महानीम नीम | 2 1 1 | - | - |
| 19 | 72/3 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.25 | | खसरा 70 की भूमि | खसरा 75 की भूमि | खसरा 76 की भूमि | खसरा 74 की भूमि | - | - | - | - |
| 20 | 73/1 | भूमिस्वामी | कृषि | 1.20 | रामचरण पिता सुमई जाति गौंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 70 की भूमि | खसरा 64 की भूमि | खसरा 74 की भूमि | खसरा 67 की भूमि | - | - | - | - |
| 21 | 73/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.62 | प्रेमलाल पिता हीरालाल जाति गौंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 70 की भूमि | खसरा 64 की भूमि | खसरा 74 की भूमि | खसरा 67 की भूमि | - | - | - | - |
| 22 | 73/3 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.28 | रमला पिता हीरालाल जाति गौंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 70 की भूमि | खसरा 64 की भूमि | खसरा 74 की भूमि | खसरा 67 की भूमि | - | - | - | - |
| 23 | 73/4 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.02 | हरिराम पिता बैसाखू, जाति गौंड, पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 70 की भूमि | खसरा 64 की भूमि | खसरा 74 की भूमि | खसरा 67 की भूमि | - | - | - | - |
| 24 | 76/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.02 | अम्मूलाल पिता पून्नू जाति गोंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 72 की भूमि | खसरा 77 की भूमि | खसरा 76/3 की भूमि | खसरा 76/1 की भूमि | - | - | - | - |
| 25 | 76/3 | भूमिस्वामी | कृषि | 1.42 | गिधानी पिता पून्नू जाति गोंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 72 की भूमि | खसरा 76/4 की भूमि | खसरा 73 की भूमि | खसरा 76/2 की भूमि | - | - | - | - |
| 26 | 76/4 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.50 | सुहानियाबाई पत्नि सुगरलाल, राकेश,रज्जोबाई पिता सुगरलाल जाति गोंड पता मचवाडा लखनादौन शिवनी मध्यप्रदेश नूमिस्वामी | खसरा 76/3 की भूमि | खसरा 82 की भूमि | खसरा 83 की भूमि | खसरा 76/3 की भूमि | - | - | - | - |
| 27 | 82/1 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.08 | चंदरसिंह,केशराम,केशर,बैजंती,इस्ता, इसुविया पिता रामसिंह जाति गौंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 76/4 की भूमि | खसरा 87 की भूमि | खसरा 86 की भूमि | खसरा 90 की भूमि | - | - | - | - |
| 28 | 82/2/1 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.02 | सुभाष पिता साहबलाल, जुझारसिंह पिता साहबलाल जाति गौंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 76/4 की भूमि | खसरा 87 की भूमि | खसरा 85 की भूमि | खसरा 90 की भूमि | - | - | - | - |
| 29 | 85/1 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.10 | नन्हीबाई पटैल पति राजकुमार जाति लोधी पता लखनादौन लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 82 की भूमि | खसरा 82 की भूमि | खसरा 84 की भूमि | खसरा 82 की भूमि | - | - | - | - |
| 30 | 85/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.70 | रामचरन,सुखलाल पिता सुभई जाति गोंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 82 की भूमि | खसरा 82 की भूमि | खसरा 84 की भूमि | खसरा 82 की भूमि | - | - | - | - |
| 31 | 112/3 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.02 | कलाबाई पति बरांतराम जाति गौंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 111 की भूमि | खसरा 120 की भूमि | खसरा 112/4 की भूमि | खसरा 84 की भूमि | - | - | - | - |
| 32 | 112/5 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.02 | तिजियाबाई पति इमरत जाति गोंड पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 70 की भूमि | खसरा 112/1 की भूमि | खसरा 112/4 की भूमि | खसरा 112/3 की भूमि | - | - | - | - |
| 33 | 151 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.50 | नरेन्द्र कुमार डेहरिया पिता नित्ताप्रसाद डेहरिया, महेंद्र डेहरिया पिता नेतराम डेहरिया जाति मेहरा पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 70 की भूमि | खसरा 157 की भूमि | खसरा 152 की भूमि | खसरा 140 की भूमि | - | - | - | - |
| 34 | 152/5 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.50 | टेकलाल,लेखराम पिता गंगाराम जाति लोधी पता मचवाडा लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | खसरा 70 की भूमि | खसरा 152/0 की भूमि | खसरा 152/2 की भूमि | खसरा 151 की भूमि | - | - | - | - |
| कुल योग | | | | 12.97 | | | | | | वृक्ष | 4 | क.मकान 1 | |

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है। (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है। (3)अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- शेर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के डूब क्षेत्र स्पिल एवं प्रपोच चैनल निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार**

**(रवि कुमार सिहाग)**
**अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)**
**एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन**

**(शीतला पटले)**
**कलेक्टर सिवनी एवं पदेन उपसचिव**
**मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग**
**जिला-सिवनी (म.प्र.)**

**जी-27402/25**

स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता